रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/MAGHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th January 1972

S.R.O. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, to amend the Indian Military Academy, Ministry of Defence (Class II posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Military Academy, Ministry of Defence (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Military Academy, Ministry of Defence (Class II posts) Recruitment Rules,

(i) in column 6, in the entry, for the figures and word "30 years", the figures and word "35 years" shall be substituted;

(ii) in column 7, in item (ii), for the words "About two years' experience", the words "About three years' experience" shall be substituted.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

का० नि० आ० 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सैनिक अकादमी, रक्षा मंत्रालय (वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय सैनिक अकादमी, रक्षा मंत्रालय (वर्ग II पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय सैनिक अकादमी, रक्षा मंत्रालय (वर्ग II पद) भर्ती नियम की अनुसूची में,

(i) प्रविष्टि में स्तम्भ 6 में "30 वर्ष" अंकों और शब्द के स्थान पर "35 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद (ii) में, स्तम्भ 7 में "लगभग 2 वर्ष का अनुभव" शब्दों के स्थान पर "लगभग तीन वर्ष का अनुभव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

वी० ए० वलियापरमपिल, अवर सचिव ।

New Delhi, the 7th January 1972

S.R.O 16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948) read with sub-rule (2) of rule 42 of the

National Cadet Corps Rules, 1948 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 116 dated 30th March, 1968, the Central Government hereby appoints a State Advisory Committee for the Union territory of Manipur consisting of the following persons, namely:—

1. The Lt. Governor, Manipur—*Chairman*.
2. The Secretary to the Government of Manipur, Education Department.
3. The Director of Education, Manipur—*Member-Secretary*.
4. The Asstt. Adjutant Quarter Master General, 101 Communication Zone Area, Shillong.
5. Shri A.Brajamani Singh, Principal, D.M. College.
6. Shri N. C. Sen, Principal, G.P.W. College.
7. Shri Ph. Tomchow Singh, Headmaster, Johnstone Hr. Sec. School.
8. Director, National Cadet Corps, Assam, Manipur, Tripura, Nagaland, NEFA and Meghalaya.
9. Shri S. Gourahari Singh, Headmaster, Tombisana High School.
10. Shrimati R. K. Mukhara Devi, Chairman, Manipur State Social Welfare Advisory Board.
11. Chairman, Imphal Municipality Board.
12. The Secretary (Finance), Govt. of Manipur.
13. Shri T. H. Modhu Singh, Dy. Director of Education (Physical), Govt. of Manipur.

A. BANERJEE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

का० नि० आ० 16.—नेशनल कैडेट कोर नियम, 1948 के नियम 42 के उपनियम (2) के साथ पठित नेशनल कैडेट कोर अधिनियम 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 116 तारीख 30 मार्च, 1968 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मणिपुर के संघ राज्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. लैफ्टीनेन्ट गवर्नर, मणिपुर—(अध्यक्ष)
2. सचिव, मणिपुर सरकार, शिक्षा विभाग
3. शिक्षा निदेशक, मणिपुर—सदस्य सचिव
4. असिस्टेन्ट अडजुटेन्ट क्वार्टर मास्टर जनरल, 101, कम्युनिकेशन जोन एरिया, शिलोंग
5. श्री ए० बृजमानी सिंह, प्रधानाचार्य, डी० एम० महाविद्यालय
6. श्री एन० सी० सेन, प्रधानाचार्य, जी० पी० डब्ल्यू० महाविद्यालय
7. श्री फ० टोमचऊ सिंह, हैडमास्टर, जौन्स्टन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
8. निदेशक, नेशनल कैडेट कोर, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, नीफा और मेघालय
9. श्री एस० गौराहरी सिंह, हैडमास्टर, टोम्बीसाना हाई स्कूल
10. श्रीमती आर० के० मुखारा देवी, अध्यक्ष, मणिपुर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
11. अध्यक्ष, इम्फाल म्युनिसिपैलटी बोर्ड
12. सचिव (वित्त) मणिपुर सरकार
13. श्री थ० मधु सिंह, शिक्षा उप निदेशक (शारीरिक), मणिपुर सरकार।

ए० बनर्जी, उप-सचिव।

New Delhi, the 12th January 1972

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy (Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Navy (Class II Gazetted Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Navy (Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969—(a) in the entries against serial No. 17 relating to the post of Civilian Technical Assistant (Engineering),—

(i) in column 2, for the entry "4", the entry "5" shall be substituted;

(ii) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely:—

"*Promotion*

Foreman of Engineering and Maintenance Departments and Chief Draughtsman of the Engineering Department with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis";

(b) in the entries against serial No. 18 relating to the post of Civilian Technical Assistant (Electrical),—

(i) in column 2, for the entry "4", the entry "6" shall be substituted;

(ii) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Promotion*

Foreman and Chief Draughtsman of the Electrical Department with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis";

(c) in the entries against serial No. 19 relating to the post of Civilian Technical Assistant (Construction),—

(i) in column 2, for the entry "4", the entry "8" shall be substituted;

(i) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Promotion*

Foreman of the Construction Department with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis".

V. A. VALIPARAMPIL, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1972

का० नि० आ० 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौ सेना (वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नौ सेना (वर्ग 2, राजपत्रित पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौ सेना (वर्ग 2, राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में :—

(क) सिविलियन तकनीकी सहायक (इंजीनियरी) पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने की प्रविष्टियों में, —

(i) स्तम्भ 2 में प्रविष्टि "4" के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) स्तम्भ 11 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति

इंजीनियरी और अनुरक्षण विभागों के फोरमैन और इंजीनियरी विभाग का मुख्य नक्शा नवीस, जिन की उस पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो";

(ख) सिविलियन तकनीकी सहायक (विद्युत्) के पद से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने की प्रविष्टि में,—

(i) स्तम्भ 2 में प्रविष्टि "4" के स्थान पर, प्रविष्टि "6" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) स्तम्भ 11 प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति

विद्युत् विभाग का फोरमैन और मुख्य नक्शानवीस, जिनकी उस पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो" ;

(ग) सिविलियन तकनीकी सहायक (संरचना) के पद से संबंधित क्रम संख्या 19 के सामने की प्रविष्टियों में,—

(i) स्तम्भ 2 में, प्रविष्टि "4" के स्थान पर, प्रविष्टि "8" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) स्तम्भ 11 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

"प्रोन्नति

संरचना विभाग का फोरमैन, जिनकी उस पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो" ।

वी० ए० बलियापरमाल, अवर सचिव ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th December 1971

S.R.O. 18.—In th notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 315, dated the 16th August, 1971, relating to the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) (Third Amendent) Regulations, 1971, published on pages 817 to 820 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 28th August, 1971, below "File No. 99658/71/CAO/DPC)", the following entries shall be inserted namely:—

"A. K. MENON,
Deputy Secretary to the Government of India
& Chief Administrative Officer, Ministry of Defence"

[No. F. 99658/CAO(DPC)].

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1971

का० नि० आ० 18.—सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) (तृतीय संशोधन) विनियम, 1971 से संबंधित, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 315, तारीख 16 अगस्त, 1971 में जो भारत के राजपत्र, तारीख 28 अगस्त, 1971, भाग 2, खंड 4 में पृष्ठ 817 से 820 पर प्रकाशित हुई थी, "(पत्र सं० 99658/71/सी ए ओ—डी पी सी)" के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ए० के० मेनन,
उपसचिव, भारत सरकार
और मुख्य प्रशासन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय" ।

[सं० फा० 99658/सी० ए० ओ० (डी० पी० सी०)]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1971

का० नि० आ० 29-ई.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 93 द्वारा उसको प्रदत्त की गई शक्तियां ऐसे व्यक्तियों और प्राधिकारियों

द्वारा या किसी ऐसे अफसर द्वारा जो ऐसे व्यक्तियों और प्राधिकारियों से कमान में वरिष्ठ है जो नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं, भी प्रयोग की जाएगी ।

नौसेना

1. नौसेना कमानों के फ्लेग आफिसर ।
2. फ्लेग आफिसर कमांडिंग, फ्लीट ।
3. सभी नौसेना आफिसर इंचार्ज ।
4. सभी रेजीडेन्ट नौसेना अफसर ।
5. सभी नौसेना एयर स्टेशनों के कमान आफिसर ।

वायु सेना

1. एयर आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, वायु सेना कमान ।
2. संक्रियात्मक क्षेत्रों में वायु सेनाओं का समादेशन करने वाले आफिसर ।
3. वायु सेना विंगों/स्टेशनों/यूनिटों का समादेशन करने वाले आफिसर ।

[सं० फा० एन० एल०/5742/पी० सी०]

का०नि०आ० 30-ई.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का 42) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(क) निदेश देती है कि सभी व्यक्ति, जो संघ के सशस्त्र बल के सदस्य नहीं है, जो वायुसेना से संलग्न हैं या उसमें नियोजित हैं या उसका अनुगमन कर रहे हैं, वायु सेना विधि के अधीन होंगे;

(ख) निदेश देती है कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सरकारी सेवक हैं, वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन अनुशासन और दण्ड के प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उनके सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति-वर्ग में सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) किसी वायु सेना यूनिट का समादेशन करने वाले आफिसर को, खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो सरकारी सेवक नहीं है ; ऐसा वर्ग विनिर्दिष्ट करने हेतु निदेश देने के लिए सशक्त करती है, जिसमें वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन अनुशासन और दण्ड के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे;

(घ) निदेश देती है कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति, जो खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन अनुशासन और दण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी नान-कमीशन्ड आफिसर को रैंक से अवर रैंक के व्यक्ति वर्ग में सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे ।

अनुसूची

(1)	(2)
(1) सभी राजपत्रित आफिसर	आफिसर
(2) सभी अन्य सरकारी सेवक, जिनका चालू मासिक मूल वेतन (सभी भत्ते छोड़कर) रु० 575.00 पैसे से अधिक है	आफिसर
(3) सभी सरकारी सेवक, जिनका चालू मासिक मूल वेतन (सभी भत्ते छोड़कर) रु० 575.00 पैसे से अधिक नहीं है और रु० 250.00 पैसे से कम नहीं है	वारण्ट आफिसर
(4) सभी सरकारी सेवक जिनका चालू मासिक मूल वेतन (सभी भत्ते छोड़कर) रु० 250.00 पैसे से कम है और रु० 110.00 पैसे से कम नहीं है ।	नान कमीशन्ड आफिसर

[वायु मुख्या०/25431/1/एल० जी० एल०]

का०नि०आ० 32-ई.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के ऐसे उपबंधों द्वारा, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों या कर्त्तव्यों का प्रयोग, या यथास्थिति, निर्वहन, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या प्राधिकारियों द्वारा या ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों से कमान में वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा किया जाएगा और ऐसी शक्तियों या कर्त्तव्यों का प्रयोग या पालन ऐसी परिस्थितियों या ऐसी दशाओं के अधीन किया जाएगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट की गई है ।

सारणी

भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम या उनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां और कर्तव्य	व्यक्ति और प्राधिकारी	परिस्थितियां या दशाएं
(1)	(2)	(3)
7	आफिसर जो वायुसेना यूनिटों का समादेशन कर रहे हैं।	वायुसेना के या उसके नियंत्रणाधीन किसी प्रतिषिद्ध स्थान की बाबत प्रयोक्तव्य।
7 (जैसा कि नियम 8 के आधार पर प्रवृत है)	आफिसर जो वायुसेना यूनिटों का समादेशन कर रहे हैं।	वायुसेना के या उसके नियंत्रणाधीन किसी संरक्षित स्थान की बाबत प्रयोक्तव्य।
8	वायु-सेनाध्यक्ष। वायु-सेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंगइन-चीफ। सक्रिय सेवा पर, ऐसे आफिसर जो संक्रिया क्षेत्रोंमें वायुसेनाओं का समादेशन कर रहे हैं।	उस दशा में प्रयोक्तव्य जब स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकारी की राय में, वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन है कि किसी स्थान या स्थानों के वर्ग में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष पूर्वाधिधानियां बरती जाएंगी।
9	वायु सेनाध्यक्ष। वायु-सेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंगइन-चीफ। सक्रिय सेवा पर, ऐसे आफिसर जो संक्रिया क्षेत्रों में वायुसेनाओं का समादेशन कर रहे हैं।	उस दशा में प्रयोक्तव्य जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकारी यह समझे कि वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए किसी क्षेत्र में व्यक्तियों का प्रवेश
11	वायुसेना यूनिटों का समादेशन करने वाले आफिसर।	वायु सेना के, या उसके नियंत्रणाधीन प्रतिषिद्ध स्थान, संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र को बाबत प्रयोक्तव्य।
14	वायु सेनाध्यक्ष। वायुसेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ। सक्रिय सेवा पर, ऐसी वायुसेना फारमेशनों का, जो किसी विंग से कम नहीं है, समादेशन करने वाले आफिसर।	उस दशा में प्रयोक्तव्य, जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसरों की राय में, वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिये यह आवश्यक या समीचीन हो कि किसी सड़क, थलमार्ग या जलमार्ग या किसी व्यक्ति, पशु या यान के किसी भूमि पर रास्ते का प्रयोग प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया जाना चाहिए।
17	वायुसेना कमानों के एयर आफिसर-कमांडिंग-इन-चीफ। सक्रिय सेवा पर, ऐसी वायु-सेना फारमेशनों का, जो किसी विंग से कम नहीं हैं, समादेशन करने वाले आफिसर।	उस दशा में प्रयोक्तव्य, जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसरों की राय में, वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन हो।
34(1)	ऐसी वायुसेना यूनिटों और टुकड़ियों के समादेशन करने वाले आफिसर जिनकी अभिरक्षा में युद्ध कैदी हैं।	यथा आवश्यक।

1	2	3
41	किसी संक्रिया-क्षेत्र में ऐसी वायुसेना फार-मेशनों का, जो किसी विंग से कम नहीं है, समादेशन करने वाले आफिसर ।	उस दशा में प्रयोक्तव्य, जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसरों की राय में, वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन हो ।
52	वायुसेना यूनिटों का समादेशन करने वाले आफिसर ।	वायुसेना के, या उसके नियंत्रणाधीन किसी प्रतिषिद्ध स्थान, या सुरक्षित स्थान या क्षेत्र, या किसी अन्य स्थान या क्षेत्र की बाबत प्रयोक्तव्य ।
61	संक्रिया क्षेत्रों में वायु-सेना का समादेशन करने वाले आफिसर ।	उस दशा में प्रयोक्तव्य, जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसरों की राय में, ऐसा करना वायु-सेना कार्मिक या सेवा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए या वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन हो ।
65	सक्रिय सेवा पर, संक्रिया क्षेत्रों में वायु-सेना का समादेशन करने वाले आफिसर ।	वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए संक्रिया क्षेत्र में प्रयोक्तव्य ।
71	संक्रिया-क्षेत्रों में वायु-सेना का समादेशन करने वाले आफिसर ।	यथा आवश्यक ।
79	वायु सेनाध्यक्ष ।	
	वायुसेना कमानों के एयर आफिसर कमां-डिंग-इन-चीफ ।	वायुयान के परिवहन में सहायता करने के प्रयोजन के लिए
	सक्रिय सेवा पर, संक्रिया क्षेत्रों में वायुसेना का समादेशन करने वाले आफिसर ।	प्रयोग की जाने वाली रोशनी, बोया, बीकन, या अन्य साधित्र की बाबत प्रयोक्तव्य ।
111	वायुसेना यूनिटों का समादेशन करने वाले आफिसर ।	सक्रिय सेवा पर और संक्रिया क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य ।
121(1)	वायु सेना यूनिटों का समादेशन करने वाले आफिसर ।	यथा आवश्यक ।
	(i) उड़ान और हवाई यातायात नियंत्रण के आफिसर-इंचार्ज ।	केवल वायुसेना के या उसके नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों की बाबत प्रयोक्तव्य ।
	(ii) वायुसेना हवाई अड्डों पर आफिसर ।	
123 124	वायु सेनाध्यक्ष । वायुसेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंग इन-चीफ । संक्रिया-क्षेत्रों में वायुसेनाओं का समादेशन करने वाले आफिसर ।	उस दशा में प्रयोक्तव्य जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की राय में ऐसा करना भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए या वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन है ।
156	(1) स्टेशन कमांडर । वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली ।	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसरों की बाबत प्रयोक्तव्य जो उसकी अधिकारिता में की स्थानीय सीमाओं के भीतर और वायु मुख्यालय की अधिकारिता में की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है ।

1	2	3
	(2) (i) वायु सेना के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (ii) वायुसेना स्टेशन-कमांडर। (iii) स्वतंत्र वायुसेना यूनिटों का कमान देने वाले आफिसर।	रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसरों की बाबत प्रयोक्तव्य जो उसकी अधिकारिता में की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है।
160	वायुसेनाध्यक्ष/वायुसेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंग इन-चीफ / संक्रिया क्षेत्रों में वायुसेनाओं का समादेशन करने वाले आफिसर।	उस दशा में प्रयोक्तव्य, जब स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की राय में, ऐसा करना भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए या वायुसेना संक्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक या समीचीन है।
175	वायुसेनाध्यक्ष / वायुसेना कमानों के एयर आफिसर कमांडिंग इन चीफ / संक्रिया क्षेत्रों में वायुसेनाओं का समादेशन करने वाले आफिसर।	वायुसेना के नियंत्रणाधीन वायुसेना स्थापनों, प्रतिष्ठानों या क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य।

[सं० फा० वायु० मुख्या/एम/25431/2/एल० जी० एल०]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1971

का० नि० आ० 33-ई०—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 104 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए, उस सरकार को उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों, वायुसेना कमानों के एयर-आफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी :

परन्तु ग्रुप कप्तान की रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

[वायु मुख्या०/25431/3/एल० जी० एल०]

आदेश

नई दिल्ली 7 दिसम्बर, 1971

का० नि० आ० 35 ई०—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 92 के उपनियम (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वायुसेना के किसी कमीशन्ड आफिसर को उस उपनियम के अधीन आदेश करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[वायु मुख्या/25431/3/एल० जी० एल०]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1971

का० नि० आ० 36-ई०—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 85 के उपनियम (1) द्वारा उसको प्रदत्त की गई शक्तियां, ऐसे व्यक्तियों और प्राधिकारियों द्वारा, भी प्रयुक्त की जाएंगी, जो नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं :—

1. वायु-सेनाध्यक्ष।
2. वायु-सेना उपाध्यक्ष।
3. किसी वायुसेना कमान का एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ।

[वायु मुख्या० 25431/3/एल० जी० एल०]

एम० पि० करियप्पा,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972